कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2012-2013	संशोधित 2013-2014	बजट 2014-2015
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ						
1.	***ब्याज प्राप्ति***					
1.01	राज्य	0049	9336.58	8463.45	8523.19	8358.79
1.02	संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)	0049	69.29	95.31	95.33	95.32
1.03	रेलवे द्वारा देय ब्याज					
1.03.01	लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	0049	3039.68	3480.08	4286.75	5063.01
1.03.02	सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	0049	2377.97	2746.00	3530.00	4030.40
1.03.03	रेलवे यात्री भाडे पर लगने वाले कर के स्थान पर रेलवे द्वारा भुगतान	0049	23.12	23.12	23.12	23.12
जोड़-रेलवे द्वारा देय ब्याज			*5440.77*	*6249.20*	*7839.87*	*9116.53*
1.04	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	23998.45	18182.40	26171.03	25979.74
1.04.01	घटाइए - व्यय के एवज में निवल प्राप्तियां	0049	-18082.06	-15225.97	-21611.58	-23821.28
निवल-ब्याज प्राप्ति			*20763.03*	*17764.39*	*21017.84*	*19729.10*
2.	***लाभांश और लाभ***					
2.01	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से और अन्य निवेशों पर लाभांश	0050	13354.37	29870.12	43074.58	27815.10
2.02	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष	0050	40406.37	43996.24	45113.35	49414.18
जोड़-लाभांश और लाभ			*53760.74*	*73866.36*	*88187.93*	*77229.28*
जोड़-ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ			**74523.77**	**91630.75**	**109205.77**	**96958.38**
3.	***राजकोषीय सेवाएं***					
3.01	मुद्रा, सिक्का निर्माण तथा टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	728.33	30.00	80.00	80.00
3.02	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	58.09	57.82	113.21	88.22
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			*786.42*	*87.82*	*193.21*	*168.22*
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			**786.42**	**87.82**	**193.21**	**168.22**
सामान्य सेवाएं						
4.	**सामान्य सेवाएं**					
4.01	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01	लोक सेवा आयोग	0051	95.62	63.00	111.00	141.00
4.01.02	पुलिस	0055	3863.62	4236.50	4256.60	4501.70
4.01.03	आपूर्ति और निपटान					
4.01.03.01	आपूर्ति और निपटान	0057	105.95	138.00	150.00	106.50
4.01.03.02	घटाइए - प्राप्तियां	0057	...	...	...	...
निवल			*105.95*	*138.00*	*150.00*	*106.50*
4.01.04	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	17.53	19.80	18.90	19.10
4.01.05	लोक निर्माण कार्य	0059	266.98	120.70	105.70	100.70
4.01.06	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	3815.09	4486.75	4792.71	5255.68
निवल-प्रशासनिक सेवाएं			*8164.79*	*9064.75*	*9434.91*	*10124.68*
4.02	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1241.07	2695.80	2239.60	2239.06
4.02.02	घटाइए - प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां			*1241.07*	*1695.80*	*1239.60*	*1239.06*
4.03	विविध सामान्य सेवाएं	0075	11096.82	13620.26	13863.77	12971.02
4.03.01	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कैन्टीन स्टोर विभाग की प्राप्तियां	0075	-10111.08	-12120.00	-12508.00	-11375.00
4.03.02	घटाइए - प्राप्तियां	0075	-231.71	-6.10	-75.80	-5.18
निवल - विविध सामान्य सेवाएं			*754.03*	*1494.16*	*1279.97*	*1590.84*

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2012-2013	संशोधित 2013-2014	बजट 2014-2015
4.04	रक्षा सेवाएं					
4.04.01	रक्षा सेवाएं - सेना	0076	2288.20	2055.25	2429.00	2623.50
4.04.01.01	घटाइए-प्राप्तियां	0076	-2288.20	-2055.25	-2429.00	-2623.50
निवल			...	...	...	...
4.04.02	रक्षा सेवाएं - नौ सेना	0077	285.07	200.00	200.00	200.00
4.04.02.01	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-285.07	-200.00	-200.00	-200.00
निवल			...	...	...	...
4.04.03	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0078	609.02	605.26	700.00	700.00
4.04.03.01	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-609.02	-605.26	-700.00	-700.00
निवल			...	...	...	...
4.04.04	रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	0079	1957.52	2059.09	1983.77	1660.47
4.04.04.01	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1957.52	-2059.09	-1983.77	-1660.47
निवल			...	...	...	...
4.04.05	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0080	68.64	45.00	50.00	55.00
4.04.05.01	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-68.64	-45.00	-50.00	-55.00
निवल			...	...	...	...
निवल - रक्षा सेवाएं			...	...	...	...
निवल - सामान्य सेवाएं			*10159.89*	*12254.71*	*11954.48*	*12954.58*
जोड़-सामान्य सेवाएं			**10159.89**	**12254.71**	**11954.48**	**12954.58**
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं						
5.	***सामाजिक सेवाएं***					
5.01	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	120.22	121.48	125.52	134.39
5.02	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	0210	285.99	322.08	419.76	420.78
5.03	परिवार कल्याण	0211	28.84	30.02	35.06	35.06
5.04	आवास	0216	217.06	158.54	190.24	180.47
5.05	शहरी विकास	0217	-0.01	0.05	0.05	0.05
5.06	सूचना और प्रचार	0220	493.30	2021.12	563.35	2058.35
5.07	प्रसारण	0221	0.11	...	...	...
5.08	श्रम एवं रोजगार	0230	26.22	30.67	21.18	21.18
5.09	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	3593.97	0.45	0.32	0.36
5.10	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	0.01	0.01	...	...
जोड़-सामाजिक सेवाएं			*4765.71*	*2684.42*	*1355.48*	*2850.64*
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			**4765.71**	**2684.42**	**1355.48**	**2850.64**
आर्थिक सेवाएं						
6.	***आर्थिक सेवाएं***					
6.01	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप					
6.01.01	फसल संबंधी कार्य	0401	140.39	171.57	176.56	181.56
6.01.01.01	घटाइए - प्राप्तियां	0401	...	...	...	...
निवल			*140.39*	*171.57*	*176.56*	*181.56*
6.01.02	पशु पालन	0403	19.89	24.00	25.00	26.05
6.01.03	डेरी विकास	0404	341.36	451.23	371.65	480.31
6.01.03.01	घटाइए - वाणिज्य विभाग - दिल्ली दुग्ध योजना की प्राप्तियां	0404	-341.14	-451.05	-371.40	-480.01
निवल			*0.22*	*0.18*	*0.25*	*0.30*
6.01.04	मत्स्यिकी	0405	4.61	5.63	5.63	6.14
6.01.05	वानिकी और वन्यजीव	0406	14.00	22.50	24.50	24.50
6.01.05.01	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-5.11	-4.50	-4.50	-4.50
निवल			*8.89*	*18.00*	*20.00*	*20.00*
6.01.06	पौधरोपण	0407	0.08	0.10	...	...
6.01.07	खाद्य भंडार और भांडागारण	0408	5.98	3.71	3.96	4.01
6.01.08	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	...	...	0.01	0.01
6.01.09	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	14.75	17.50	19.50	21.00
निवल - कृषि और संबद्ध कार्यकलाप			*194.81*	*240.69*	*250.91*	*259.07*

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2012-2013	संशोधित 2013-2014	बजट 2014-2015
6.02	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01	बड़ी और मध्यम सिंचाई	0701	15.64	20.00	30.00	20.00
6.02.02	लघु सिंचाई	0702	0.62	0.70	0.70	0.70
जोड़-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			*16.26*	*20.70*	*30.70*	*20.70*
6.03	ऊर्जा					
6.03.01	विद्युत	0801	3242.69	2890.50	3097.10	3156.24
6.03.01.01	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन (बीटीपीएस) की प्राप्तियां	0801	-262.44	-240.63	-240.63	-224.60
6.03.01.02	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - ईंधन सूची की प्राप्तियां	0801	-1917.13	-1947.14	-2162.93	-2237.90
निवल			*1063.12*	*702.73*	*693.54*	*693.74*
6.03.02	पेट्रोलियम	0802	14805.93	13297.85	14926.74	13596.06
6.03.03	कोयला और लिग्नाइट	0803	88.37	0.20	0.50	0.10
6.03.04	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.44	0.60	0.98	1.00
निवल - ऊर्जा			*15957.86*	*14001.38*	*15621.76*	*14290.90*
6.04	उद्योग और खनिज					
6.04.01	ग्रामीण और लघु उद्योग	0851	35.52	33.89	35.00	38.96
6.04.02	उद्योग	0852	1527.81	2258.22	2342.82	2436.60
6.04.02.01	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग-ईंधन संरचना सुविधा की प्राप्तियां	0852	-1393.35	-2102.80	-2166.38	-2264.94
6.04.02.02	घटाइए - इस क्षेत्र की अन्य प्राप्तियां	0852	...	...	-12.95	...
निवल			*134.46*	*155.42*	*163.49*	*171.66*
6.04.03	अलौह खनन तथा धात्विक उद्योग	0853	36.85	39.20	18.92	21.20
6.04.04	अन्य उद्योग	0875	312.74	347.73	316.47	338.97
6.04.04.01	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - अफीम और क्षारोद कारखानों की प्राप्तियां	0875	-312.74	-347.73	-316.47	-338.97
निवल			...	...	...	...
निवल - उद्योग और खनिज			*206.83*	*228.51*	*217.41*	*231.82*
6.05	परिवहन					
6.05.01	पत्तन और प्रकाशगृह	1051	207.69	221.50	231.75	241.75
6.05.01.01	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - प्रकाशगृह और प्रकाशपोत की प्राप्तियां	1051	-206.85	-220.00	-230.00	-240.00
निवल			*0.84*	*1.50*	*1.75*	*1.75*
6.05.02	पोत परिवहन	1052	69.62	56.03	61.65	58.60
6.05.03	नागर विमानन	1053	29.39	37.75	31.02	32.72
6.05.04	सड़क और पुल	1054	4007.26	4553.20	5088.95	6171.57
6.05.05	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
6.05.06	अन्य परिवहन सेवाएं	1075	...	...	...	...
6.05.07	डाक संबंधी प्राप्तियां	1201	9366.50	9101.81	9787.52	10281.90
6.05.07.01	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - डाक संबंधी सेवाओं की प्राप्तियां	1201	-9366.50	-9101.81	-9787.52	-10281.90
निवल			...	...	...	...
निवल - परिवहन			*4107.11*	*4648.48*	*5183.37*	*6264.64*
6.06	संचार					
6.06.01	अन्य संचार सेवाएं	1275	18902.00	40847.05	40847.06	38954.02
6.07	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	45.84	52.42	41.59	42.24
6.07.02	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	970.82	580.50	771.37	800.14
जोड़ - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			*1016.66*	*632.92*	*812.96*	*842.38*

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2012-2013	संशोधित 2013-2014	बजट 2014-2015
6.08	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	138.83	141.90	141.50	141.50
6.08.02	अन्य सामान्य आर्थिक सेवांए	1475	3146.72	2204.96	3158.22	3249.57
6.08.02.01	घटाइए - प्राप्तियां	1475	-1.32	...	...	...
निवल			*3145.40*	*2204.96*	*3158.22*	*3249.57*
6.08.03	पर्यटन	1452	7.39	6.00	21.00	12.00
6.08.04	नागरिक आपूर्ति	1456	0.04	0.05	0.03	0.03
निवल - सामान्य आर्थिक सेवाएं			*3291.66*	*2352.91*	*3320.75*	*3403.10*
निवल - आर्थिक सेवाएं			*43693.19*	*62972.64*	*66284.92*	*64266.63*
7.	**रेलवे बजट के अनुसार रेलवे राजस्व**					
7.01	भारतीय रेलवे - विविध प्राप्तियां	1001	2447.85	2884.00	3668.00	4180.40
7.01.01	घटाइए - विविध प्राप्तियां	1001	-2447.84	-2884.00	-3668.00	-4180.40
7.02	भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनें	1002	122952.91	143742.00	140499.82	160775.00
7.02.01	घटाइए - प्राप्तियां	1002	-122952.91	-143742.00	-140499.82	-160775.00
7.03	भारतीय रेलवे -महत्त्वपूर्ण लाइनें	1003	779.68	...	...	...
7.03.01	घटाइए - प्राप्तियां	1003	-779.68	...	...	...
निवल-रेलवे बजट के अनुसार रेलवे राजस्व			*0.01*	*...*	*...*	*...*
जोड़-आर्थिक सेवाएं			**43693.20**	**62972.64**	**66284.92**	**64266.63**
सहायता अनुदान और अंशदान						
8.	**सहायता अनुदान और अंशदान**					
8.01	विदेशी अनुदान सहायता					
8.01.01	बहुपक्षीय					
8.01.01.01	एशियाई विकास बैंक	1605	...	...	...	...
8.01.01.02	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	1605	-0.76	1.00	3.47	2.00
8.01.01.03	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	38.42	50.00	45.12	94.55
8.01.01.04	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	1605	0.45	4.00	0.50	2.00
जोड़ - बहुपक्षीय			*38.11*	*55.00*	*49.09*	*98.55*
8.01.02	द्विपक्षीय					
8.01.02.01	जर्मनी	1605	7.62	26.10	12.29	16.75
8.01.02.02	जापान	1605	...	8.00	4.50	...
8.01.02.03	यूके (डीएफआईडी)	1605	1279.08	600.00	979.52	755.00
8.01.02.04	ईईसी	1605	104.04	300.00	637.85	425.00
8.01.02.05	यूएसएआईडी	1605	23.61	...	70.97	42.71
जोड़-द्विपक्षीय			*1414.35*	*934.10*	*1705.13*	*1239.46*
8.01.03	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	668.92	460.03	1128.88	1060.00
8.01.03.02	यूएनडीपी	1605	21.68	6.00	2.02	5.50
8.01.03.03	यूएनपीएफ	1605	15.80	1.00	0.51	1.00
जोड़ - अंतर्राष्ट्रीय निकाय			*706.40*	*467.03*	*1131.41*	*1066.50*
जोड़ - विदेशी अनुदान सहायता			*2158.86*	*1456.13*	*2885.63*	*2404.51*
8.02	सहायता सामग्री तथा उपस्कर	1606	151.94	...	249.21	...
जोड़ - सहायता अनुदान एवं अंशदान			*2310.80*	*1456.13*	*3134.84*	*2404.51*
जोड़ - सहायता अनुदान और अंशदान			***2310.80***	***1456.13***	***3134.84***	***2404.51***
संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व						
9.	***संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व***	1710	1117.06	1165.91	1097.01	1110.68
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व			**1117.06**	**1165.91**	**1097.01**	**1110.68**
कुल जोड़			***137356.85***	***172252.38***	***193225.71***	***180713.64***

उपर्युक्त विवरण में 2014-2015 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्तियां ।

1.01 राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2013-14 में 8523.19करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2014-2015 में 8358.79 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। तेरहवें वित्त आयोग के पंचाट (2010-2015) में सिफारिश की गई है कि 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन की सुविधा सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों तक विस्तारित की जाए बशर्ते कि ये राज्य 13वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित करें। सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने राजकोषीय नियमावली के विधान अधिनियमित कर दिये हैं। तदनुसार, 31.03.2004 तक संविदित और 31.03.2010 के अंत तक बकाया केन्द्रीय ऋणों (वित्त मंत्रालय से) को 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए समेकित किया गया है।

तेरहवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं / केंद्रीय आयोजना स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय के सिवाय अन्य मंत्रालयों के माध्यम से दिए गए केंद्रीय ऋण जो पिछले वर्ष के अंत में बकाया है, को बट्टे खाते डाला जाएगा, यदि राज्य 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एफआरबीएम अधिनियमों को प्रवृत्त/संशोधित करते हैं।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि से राज्यों जिनमें पिछले वर्ष एफआरबीएमए अधिनियमित/संशोधित किया गया है, द्वारा 2006-07 तक संविदित और पिछले वर्ष की समाप्ति तक बकाया ऋणों पर ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत अथवा 9.5 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की सामान्य ब्याज दर पर पुनः निर्धारित किया जाए। तथापि, वापसी अदायगी की समय-सारणी अपरिवर्तित बनी रहेगी। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी राज्य एनएसएसएफ की ब्याज दर राहत के लिए तभी पात्र माना जाएगा जिस तारीख से वह राज्य 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एफआरबीएमए अनियमित/संशोधित करेगा। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2012-13 से एनएसएसएफ के ऋणों के संबंध में ब्याज राहत लेने के लिए निरंतर एफआरबीएमए लक्ष्यों का अनुपालन आवश्यक है। गोवा को छोड़कर सभी 28 राज्यों ने 13वें वित्त आयोग द्वारा यथानिर्धारित 13वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप एफआरबीएमए लागू कर दिया है । वर्ष 2005-06 में अधिनियमित गोवा के मूल एफआरबीएमए में 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 2012-13 की अवधि तक को कवर करना निहित है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2013-2014 में 95.33 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2014-2015 में 95.32 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

1.03 रेलवे द्वारा देय ब्याज : 2014-15 के लिए लाभांश की दर संबंधी ज्ञापन रेलवे अभिसमय समिति (आरसीसी) के विचाराधीन है । इस प्रकार आरसीसी की सिफारिशों के लम्बित रहते 2014-15 के लिए अनुमान 2013-14 हेतु अपनाई गई व्यवस्थाओं के आधार पर लगाए गए हैं। ये व्यवस्थाएं हैं (i) रिहायशी भवनों की पूंजीगत लागत जिसपर 3.5 प्रतिशत का लाभांश है, को छोड़कर रेलवे निवेश के वर्ष को ध्यान में रखे बिना, लाभांश देने वाली पूरी पूंजी पर 4 प्रतिशत का लाभांश अदा करता है (राज्यों को यात्री भाड़ा कर के स्थान पर भुगतान करने के लिए 31.3.1964 तक निवेशित सब्सिडी पूंजी घटाकर लाभांश देने वाली पूंजी पर 1.5 प्रतिशत शामिल है); (ii) रेलवे इनके संबंध में पूंजी पर लाभांश अदा नहीं करता; (क) महत्वपूर्ण लाइनें, (ख) अ-लाभकारी ब्रांच लाइनें, पूंजी पर लाभांश भुगतान से किसी खास ब्रांच लाइन की छूट लाइन की लाभदायकता की वार्षिक समीक्षा पर आधारित होती है, लाभदायता "मार्जिनल लागत" के सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जा रही है, (ग) नौकावहन, कल्याण भवन (अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य इकाइयां, क्लब, संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास तथा अन्य कल्याण केंद्र) और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे लाइनों नॉन स्ट्रेटेजिक हिस्सा, (घ) अयस्क लाइनें (किरिबुरू - बिमलागढ़ और संभलपुर - टिटलागढ़ लाईनें जिनमें अयस्क के वहन के लिए भाड़े की रियायती दरें लगती हैं) बशर्ते वे लाभकारी न हों, लाभदायकता मार्जिनल लागत के सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जा रही है, (ङ) 1 अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद की 28 नई लाइनों पर वित्तीय विचार के अलावा ध्यान दिया जाएगा सिवाय उन लाइनों को छोड़कर जो मार्जिनल लागत के सिद्धान्त को अपनाए गए वर्ष के दौरान लाभकारी बनी है। यह व्यवस्था जम्मू-कठुआ और तिरुनेवल्ली-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाईनें जिन्हें राष्ट्रीय निवेश के नाम से जाना जाता है, पर भी लागू होती है। (छ) 28 नई लाइनों को 1 अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद वित्तीय स्थिति पर विचार किए बना हाथ में लिया गया। इसमें वे लाइनें शामिल नहीं है जो सीमान्त लागत सिद्धान्त को अपनाकर-वर्ष के दौरान लाभकारी हुई। यह व्यवस्था जम्मू कठुआ तथा तिरुनेवल्ली -त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाइनों पर भी लागू हैं जिन्हें राष्ट्रीय निवेश के रूप में जाना जाता है, (ज) सामरिक विचार कर गेज परिवर्तन कार्य हाथ में लिया गया । (iii) वर्ष में परिव्यय का 50 प्रतिशत भाग पूंजी निर्माण कार्य प्रगति पर लगाया गया (जो अन्यथा लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तीन वर्षों की अवधि के लिए लाभांश भुगतान से छूट प्राप्त है। (iv) उक्त लाभांश रियायतें रेलवे को सामान्य राजस्व से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 2005-06 तक सामरिक लाइनों पर हुए नुकसान को देय लाभांश से घटाया गया। तथापि, 2006-07 से इन नुकसानों का प्रतिपूर्ति आर्थिक कार्य विभाग की मांग के तहत किए गए प्रावधान के जरिए की जा रही है। (v) जिन वर्षों में रेलवे का निवल राजस्व मौजूदा लाभांश देयता से पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है, मौजूदा लाभांश के भुगतान में सभी को आस्थगित लाभांश देयता के रूप में समझा जाता है (जिस पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाता है) और जिसे रेलवे द्वारा भावी वर्षों में अधिशेष से उन्मोचित किया जाएगा। उपर्युक्त वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर, रेलवे द्वारा 2013-14 के संशोधित अनुमान और 2014-15 के बजट अनुमानों में देय लाभांश के अनुमानों से तैयार किया गया है। 1964-65 से पहले रेलवे द्वारा भुगतान किए गए 1.5 प्रतिशत लाभांश में से 23.12 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान रेलवे द्वारा किया जाता है जो राज्यों को अनुदान के रूप में रेलवे यात्री किराया पर निरसित कर के बदले देने हेतु है और शेष राशि जो अब तक 2001-2002 से रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि में अंशदान की जाती थी, उसे रेलवे द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय और आरसीसी के अनुमोदन से रेलवे रक्षा निर्माण कार्यों में क्रेडिट किया जाता है।

1.04 अन्य ब्याज प्राप्तियां : "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं। इन अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज भी शामिल है।

2. लाभांश तथा लाभ : इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.02 अन्य राजकोषीय सेवाएं : ये प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त लाभ आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.01 "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती है।

4.01.02 "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

4.01.03 "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों का निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित है।

4.01.04 "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.06 "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

4.03.01 वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01 "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित है।

5.02 "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सम्बन्ध अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

5.03 "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।

5.04 "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।

5.06 "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार, प्रकाशन बिक्री, फिल्म किराया तथा फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन (एफएम) - चरण-III नीलामी से प्राप्त प्रभार शामिल हैं।

5.08 "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रमकानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09 "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्तया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01 कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां : इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाएं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियन्त्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसमें गणना में लिया जाता है।

6.02 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण : इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं, "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03 ऊर्जा : इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है। "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं। "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतट कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

6.03.02 पेट्रोलियम : (क) रॉयल्टी : (i) केन्द्र सरकार अपतट फील्डों से उत्पादित तेल और गैस पर रॉयल्टी प्राप्त करने की हकदार है जबकि अपतटीय फील्डों के मामले में यह सम्बधित राज्य सरकार को देय है। ऑयल फील्डों के विकास के विनियमन की शक्ति और विकास का उत्तरदायित्व अनन्य रूप से केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। ऑयल फील्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 इससे सम्बन्धित हैं, (ii) प्राकृतिक तेल कम्पनियों के नामित फील्डों से तेल और गैस उत्पादन हेतु रॉयल्टी व्यवस्थाएं उत्पाद हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी) के अधीन अवार्ड किए गए फील्डों से उत्पादन से भिन्न होती हैं. (iii) राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर देय रॉयल्टी, यथामूल्य होने के कारण, उन कीमतों पर निर्भर करती है, जिस पर उनके द्वारा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बेचा जाता है। प्राकृतिक गैस का मूल्यनिर्धारण प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के अधीन की जाती है, जिसे 2005-06 के दौरान ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया है जिससे रॉयल्टी से प्राप्तियां प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें जो अस्थिर है, तेल से रॉयल्टी प्राप्तियों को प्रभावित करती हैं, (iv) पीएससी के अधीन अवार्ड किए गए फील्डों से उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित पीएससी के उपबंधों द्वारा शासित होती है और इस संबंध में प्राप्तियां विभिन्न फील्डों से वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करती हैं।

(ख) लाभ पेट्रोलियम : लाभ पेट्रोलियम किसी विशेष फील्ड से संविदा के अनुसार उत्पादन की स्वीकार्य लागत घटाने के बाद उत्पादित पेट्रोलियम का मूल्य है। संविदाकार और सरकार सम्भावित करार / संविदाओं के उपबंध के अनुसार संविदा क्षेत्र से लाभ पेट्रोलियम में हिस्सेदारी करते हैं। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा नामित फील्डों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है। लाभ पेट्रोलियम उगाही भी कच्चे तेल और गैस के प्रचलित मूल्य के अनुसार भिन्न होती है। महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) इन पीएससी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। लाभ पेट्रोलियम तिमाही आधार पर देय है जिसमें अंतिम समायोजन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जा रहा है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क : (i) पीईएल शुल्क किसी लाइसेंसधारी द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस के अनन्य अन्वेषण करने हेतु अधिकार प्रदान करने के निमित्त सरकार को भुगतान है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतया लाइसेंस के क्षेत्र और अवधि से सम्बद्ध है और लाइसेंसधारियों द्वारा समय समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार है, (ii) अभितट फील्डों के मामले में पीईएल शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार को जाता है और अपतट फील्डों के मामले में यह केन्द्र सरकार को अदा किया जाता है।

6.04.01 'ग्रामीण और लघु उद्योग' शीर्ष में औद्योगिक संविदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02 'उद्योग' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योग और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित है।

6.04.03 'गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग' शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02 'पोत परिवहन' शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04 'सड़क और पुलः शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल है।

6.06 'अन्य संचार सेवाओं' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः ट्राई की सिफारिशों के अनुसार लगाए जाने वाले एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभारों, 180 मे. ह. और 900 मे. ह. स्पेकट्रम की नीलामी तथा 800 मे.ह. स्पेकट्रम की प्राप्तियों से संबंधित है । दूरसंचार विभाग इसके द्वारा दिए गए विभिन्न टेलीकॉम आपरेटरों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। यह नए आपरेटरों से एकबारगी प्रविष्टि शुल्क भी संग्रहित करता है। मुख्य सेवा श्रेणियों में सेल्युलर मोबाइल सेवा, बुनियादी सेवा, यूनिफाइड एक्सेस सेवा, वी-सैट सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं, अवसंरचना प्रदाता, इंटरनेट सेवाएं, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा और कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा शामिल है।

कुछेक सेवाओं को छोड़कर, लाइसेंस शुल्क आपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर संग्रहित किया जाता है। इसके बदले, एजीआर टैरिफ, ग्राहक आधार, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होता है। लाइसेंस फीस से होने वाले संग्रह लाइसेंस फीस की दरों, प्रशुल्कों तथा देश में दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि की दरों पर निर्भर करता है।

स्पैक्ट्रम प्रभारों की वसूली विभाग द्वारा सेवा प्रदायकों द्वारा स्पैक्ट्रम के उपयोग पर की जाएगी तथा इसका परिकलन या तो उनके नेटवर्क (सी,एस,एमटी, बेसिक, यूएएस तथा वाणिज्यिक वी सैट लाइसेंसों के लिए) के लिए निर्दिष्ट स्पैक्ट्रम प्रमात्रा पर निर्भर उनकी समायोजित सकल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में किया जाएगा या किसी समान दर पर अथवा किसी फार्मूले (अन्यों के लिए) के आधार पर किया जाएगा।

6.07.01 "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बधित हैं।

6.07.02 'अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित हैः

6.08.01 "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैः

6.08.02 "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व - रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में i) विविध प्राप्तियाँ ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। अतः गैर-कर राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता अनुदान अंशदानः ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा अनुबंध 9 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व : (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, लकड़ी तथा वनोत्पाद विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

10. कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 12 में देखा जा सकता है।